इन्द्र राज पूनियां बनाम स्टेट
प्रकरण संख्या 02/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
23.6.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि वादी का सही नाम इन्द्र राज पूनियां पुत्र भागुराम पूनियां है। वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। अतः वाद वादी डिकी करते हुए रोही मौजा बिसरासर के खाता सं. 158/141 के ख.नं. 589 की 2.529 है., 733 की 8.043 है., 828 की 2.073 है. कुल 12.645 है. में दर्ज वादी का नाम इन्द्राज पुत्र भागुराम जाति जाट निवासी रूपवास तहसील सिरसा तथा खाता सं. 216/203 के ख.नं. 482 की 1.859 है., 673 की 6.601 है., 829 की 7.107 है. कुल 15.567 है. भूमि में दर्ज वादी का नाम इन्द्राज पुत्र भागुराम जाति जाट निवासी रूपावास के स्थान पर इन्द्र राज पूनियां पुत्र भागुराम पूनियां जाति जाट निवासी हाउस नं0 94, नियर चहल चौक, बैंक कॉलोनी, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 23.6.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर [illegible] उपखण्ड अधिकारी [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.06.30 15:52:00 IST
Reason: SelfAttested